**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
I.A. NO. 331 OF 2022
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1002 OF 2018**

IN THE MATTER OF:

ABHISHT KUSUM GUPTA ...Applicant

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ...Respondents

AND IN THE MATTER OF:

NTPC LTD. ...APPLICANT

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of New Okhla Industrial Development Authority to the Application filed by NTPC Ltd. seeking recalling/ Modification of order dated 03.08.2022 along with supporting affidavit.	1 - 5
2.	**ANNEXURE – 1** A true copy of the MoU dated 03.11.2018	6 - 10
3.	**ANNEXURE – 2** A true copy of the minutes of meeting held on 01.09.2022	11
4.	**ANNEXURE – 3 (COLLY)** True copies of the letter dated 31.01.2022, 07.09.2022, 22.09.2022, 14.12.2022, 27.03.2023 and 03.08.2023	12 - 20

NEW DELHI

DATE 25.04.2024 FILED BY

(RACHIT MITTAL)
ADVOCATE FOR NOIDA
MZ- 24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida, U.P. – 201 301
Contact No.: 0120- 4998794
EMAIL: rachit@rmlawchambers.in

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I.A. No. 331 of 2022

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1002 of 2018

IN THE MATTER OF:

ABHISHT KUSUM GUPTA ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ... RESPONDENTS

AND IN THE MATTER OF:

NTPC LTD. ... APPLICANT

REPLY ON BEHALF OF NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY TO THE APPLICATION FILED BY NTPC LTD. SEEKNIG RECALLING/ MODIFICATION OF ORDER DATED 03.08.2022

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The captioned application has been filed by NTPC Ltd. (hereinafter referred to as "The Applicant") seeking following prayers:

> *"(a) Allow the present application and recall/modify the order dated 03.08.2022 to the extent that the Order directs in Paragraphs 22 and 29(v) for implementation of MoU dated 14.06.2018 between the Applicant and NOIDA Authority; and*
>
> *(b) Pass such other or further order(s) as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the present case."*

2. The following facts are necessary for adjudication of the present application:

3. Applicant and Answering Respondent entered into an agreement dated 14.06.2018, wherein, the parties had mutually agreed to deliver/accept the Secondary treated sewage water for NCTPP-Dadri for non-portable application on payment basis.

4. Thereafter, MoU dated 03.11.2018 was executed between NOIDA, NTPC and U.P. Jal Nigam, wherein, certain obligations were to be performed by the respective parties including NTPC. A true copy of the MoU dated 03.11.2018 is annexed and marked as **ANNEXURE-1**.

5. A meeting was conducted on 01.09.2022, wherein, representatives of NOIDA, U.P. Jal Nigam and NTPC were present and the applicant assured to perform its part of obligation. A true copy of the minutes of meeting held on 01.09.2022 is annexed and marked as **ANNEXURE-2**.

6. Answering Respondent has at numerous occasions have written various letters to applicant for completion its part of obligations. The letters written to the Applicant are dated 31.01.2022, 07.09.2022, 22.09.2022, , 14.12.2022, 27.03.2023 and 03.08.2023. True copies of the letters dated 31.01.2022, 07.09.2022, 22.09.2022, , 14.12.2022, 27.03.2023 and 03.08.2023 are annexed and marked as **ANNEXURE-3 (Colly)**.

7. Since then the applicant has neither given any reply to the letters nor any compliance has been done in pursuance to the meetings and letters and now an application has been filed seeking modification of the order dated 03.08.2022.

8. In view of the above, appropriate orders may be passed by this Hon'ble Tribunal in the captioned application.

NEW OKHLA INDUTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi
Date: 25 .04.2024

THROUGH

(RACHIT MITTAL)
ADVOCATE FOR NOIDA
MZ- 24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida, U.P. – 201 301
Contact No.: 0120- 4998794
EMAIL: rachit@rmlawchambers.in

NOTARY
Munendra Kumar Shishodia
Notary Advocate
Regd. No. 13478
FIVE RUPEES
NOTARIAL
GOVT OF INDIA

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**I.A. No. 331 of 2022
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 1002 of 2018**

<u>IN THE MATTER OF:</u>

ABHISHT KUSUM GUPTA ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ... RESPONDENTS

<u>AND IN THE MATTER OF:</u>

NTPC LTD. ... APPLICANT

A F F I D A V I T

I, Sanjay Parashar S/o Mr. Dinesh Chand Parashar aged about 59 years working as Senior Manager, Jal-1, New Okhla Industrial Development Authority, Sector 5, Noida, U.P. do hereby state on solemn affirmation as hereunder:-

1. That I, in the aforesaid capacity is well conversant with the facts and circumstances of the case derived on information from the record. Hence I am competent to swear this affidavit.

2. I have read and understood the contents of accompanying reply. I state that the facts stated therein are true to my knowledge derived from the official record. The legal submissions are based on legal advice received and believed to be true.

NOTARY
Munendra Kumar Shishodia
Notary Advocate
Regd. No. 13478
GOVT OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of this affidavit from paragraph 1 to 2 are true to my knowledge. Nothing material has been suppressed. So help me God.

Verified on this 25th day of April, 2024 at Noida.

DEPONENT

NOTARY
Munendra Kumar Shishodia
Notary Advocate
Reg. No-13478
GOVT OF INDIA

ATTESTED
Munendra Kumar Shishodia
Notary Advocate
Reg. No-13478

25 APR 2024

INDIA NON JUDICIAL
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
TREASURY OFFICE GHAZIABAD
29 OCT 2018
Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EL 616733

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This MOU is made this Third day of November of 2018 between the New Okhla Industrial Development Authority and NTPC Limited, SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 (hereinafter referred to as NOIDA and NTPC respectively, which expression shall unless repugnant to the context of meaning thereof being desired to include its administrators, successors & assigns) of the first part

AND

Uttar Pradesh Jal Nigm, 6-Rana Pratap Marg, Lucknow (hereinafter referred to as "UPJN" which expression shall unless repugnant to the context of meaning thereof being desired to include its administrators, successors and permitted assigns) of the second part.

Whereas this MOU is signed for Preparation of entire Detailed Project Report , arranging of ROW and complete execution of laying of pipe line for supply of treated sewage water from STP-50 (59 MLD), STP -54 (87 MLD) and STP-123 (35 MLD + 80 MLD (Proposed) = 115 MLD), Noida to NTPC, Dadri (U.P.) (hereinafter referred as NTPC treated sewage water pipe line). As per Chief Maintenance Engineer office letter no. – नौएडा/मु0अ0अ0(सिविल)/2018/134, date 18.06.2018, UPJN shall act as implementing agency for the work pertaining to laying of pipe line for supply of treated sewage water.

(एस.के. श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक
नौएडा

विजय लक्ष्मी मुरलीधरन
VIJAYA LAKSHMI M. RALIDHARAN
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Addl. General Manager (HR)
एनटीपीसी लि०-दादरी/NTPC Ltd.-Dadri

Project Manager
Gangajal Project Unit
U.P. Jal Nigam
Ghaziabad

(21) ~~998~~ (5)

Now, therefore, the parties here to mutually agree as follows:-

1- <u>DEFINITIONS</u>

For the purpose of these documents the following words will have the meaning assigned to them-

1.1 NOIDA shall mean the New Okhla Industrial Development Authority whose main office is situated at Sector-6, NOIDA city, (U.P.) which was set up under the provision of U.P. Industrial Area Development act, 1976 and shall mean it's Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer, Dy. Chief Executive Officer, Officer on special Duty, General Manager or any other Officer so authorized by Chief Executive Officer to discharge the required functions on its behalf.

1.2 "NTPC" Shall mean the NTPC Limited whose head office is situated at SCOPE Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 and shall mean its Chairman and Managing Director (CMD), Executive Director, Chief General Manager, Additional General Manager (HR) and any other Officer so authorized by Chairman and Managing Director (CMD), NTPC to discharge the required functions on its behalf.

1.3 "UPJN" Shall mean the Uttar Pradesh Jal Nigam whose head office is situated at 6-Rana Pratap Marg, Lucknow and shall mean its Managing Director, Chief Engineer, Ghaziabad, Superintending Engineer, XVIIIth Circle / Yantrik Mandal, Ghaziabad, the concerned Executive Engineer / Project manager and any other Officer so authorized by Managing Director U.P. Jal Nigam to discharge the required functions on its behalf.

1.4 The 'Chief Engineer' of U.P.J.N. shall mean the "Chief Engineer (Ghaziabad Zone), U.P.Jal Nigam, Ghaziabad'. The 'Superintending Engineer' shall mean the concerned Superintending Engineer i.e. Superintending Engineer, "XVIII Circle" U.P. Jal Nigam, Ghaziabad or "Yantrik Mandal", U.P. Jal Nigam, Ghaziabad. The Executive Engineer/Project Manager shall mean the concerned Executive Engineer/ Project Manager i.e. "Executive Engineer/Project Manager" of Ganga Jal Project Unit UPJN, Ghaziabad and Executive Engineer, Const. Div (E & M) Unit UPJN, Gzb. or the Civil and E/M units deployed on the works of the Project.

1.5 The "Work" and "Works" shall mean the works included and pertaining to execution of laying of pipe line for supply of treated sewage water from Noida to NTPC, Dadri (UP).

2- <u>SCOPE OF WORK</u>

2.1 UPJN will prepare the DPR for entire treated sewage water supply system for use by NTPC Dadri (U.P.) (from Noida to NTPC, Dadri) including all allied works which shall be approved by NOIDA Authority /NTPC Ltd..

(एस. के. श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक
नौएडा

The transmission piping system shall have two pipelines each having 80 MLD capacity secondary treated sewage water to the Power Plant.

VIJAYA LAKSHMI ... (मानव संसाधन)
Addl General Manager (HR)
एनटीपीसी लि०-दादरी/NTPC Ltd.-Dadri

Project Manager
Gangajal Project Unit
U.P. Jal Nigam

20

2.3 UPJN will arrange ROW and complete the work including Survey, design, preparation of project estimation including drawings and supervision of work all complete. Project will include laying of pipe line for supply of treated sewage water from Noida to NTPC, Dadri (U.P.) including all allied pumping works.

2.4 NOIDA will supply secondary treated sewage water from STPs to NTPC Plant intake point with the pumping station within the STP boundary. Necessary upgradation/construction and O&M work within various STP's Campus and treated water pumping system will be carried out by UPJN which will be funded by NOIDA and shall form part of the DPR for the work.

2.5 NTPC will supply the transmission pipe to be laid by UPJN (for treated sewage water from STPs to NTPC Dadri premises).

2.6 UPJN shall be responsible for maintaining the pipe line for supply of treated sewage water from Noida to NTPC, Dadri (U.P.) for a period of 15 Years from the date of commencement of supply of secondary treated sewage water to NTPC, dardri (U.P.) by NOIDA. Renewal of agreement shall be on mutually agreed terms in writing in between NTPC, NOIDA and UPJN.

3. **PAYMENT AND ACCOUNT PROCEDURE.**

3.1 NTPC, funding agency, will ensure the smooth release of funds through NOIDA to UPJN for proper execution and final completion of Project as per following schedule:-

3.1.1	After approval of estimate/DPR (By NOIDA Authority / NTPC Dadri)	15%
3.1.2	First Year	15%
3.1.3	Second Year	40%
3.1.4	Third Year	30%

~~NTPC will release a lump sum amount Rs. 75.00 Lakh to UPJN through NOIDA after signing of MoU as project preparation fee which will be adjusted from the funds made available for construction.~~

3.2 For smooth & effective execution of this Project, availability of funds should be in accordance with para 3.1 of this MOU and as per demand of funds raised by UPJN time to time.

3.3 Initially 15% of the estimated cost shall be released to UPJN out of which Mobilization advance against the Contract agreement executed w.e.f date of MOU with maximum of 10% of Contract value against Bank guarantee shall be given by UPJN to the Contractor at an interest rate of 8% p.a. The interest earned shall be taken into account as the fund made available to UPJN by NTPC through NOIDA. After utilization of 75% of released amount UPJN shall submit the progress report with the expenditure details & utilization certificate. On the basis of the demand letter reimbursement shall be made by the NTPC through NOIDA and after release of 90% fund UPJN shall submit details of expenditure to NOIDA.

3.4 Payment to contractors/suppliers appointed by UPJN, shall be made by UPJN from the funds made available by NOIDA.

(एस. के. श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक
नोएडा

विजय लक्ष्मी मुरलीधरन
VIJAYA LAKSHMI MURALIDHARAN
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Addl. General Manager (HR)
एनटीपीसी लि०-दादरी / NTPC Ltd.-Dadri

Project Manager
Gangajal Project Unit
U.P. Jal Nigam
Ghaziabad

(16)

3.5 GST as applicable or other taxes, if any, shall be, included in work-cost to be borne by funding agencies. It may be ensured that only basic cost of goods and services i.e. without considering input GST are taken in cost estimate because input GST on goods and services shall be eligible for credit by the contractor. Output GST at prevailing rate shall be added to the cost estimate. UPJN will deduct Income Tax, TDS and labour cess etc as applicable, on the payments made to contractors and will deposit the same to concern Department.

3.6 UPJN shall defend the arbitration/court cases arising with the contractors/suppliers engaged by them. The Project Manager / Executive Engineer shall issue timely notices, giving timely decision, making timely payments to the Contractor/Agencies engaged by them.

3.7 Centage Charges (departmental fee for Supervision) of 12.50% on estimated cost of the entire Project shall be payable to UPJN. Contingencies charges shall be paid as per actual expenses subject to maximum of 2% of the cost of work which may be utilized in extreme conditions as per prevailing policy circulars with due certification of UPJN.

4. **COMPLETION OF THE WORK :-**

4.1 The project shall be completed in 36 months by U.P. Jal Nigam from the date of availability of Land for laying of pipe line and release of funds which ever is later.

4.2 The Bar chart will be prepared and submitted by UPJN and progress of the project shall be reviewed at a prescribed interval by Chief Engineer (Gzb Zone) UPJN, Gzb and representative of NOIDA and NTPC.

4.3 UPJN shall be responsible for proper execution of this project in all respect as per Chief Maintenance Engineer, Noida letter no– नौएडा /मु0अ0अ0(सिविल)/2018/134, date 18.06.2018. UPJN shall perform all activities required to be performed under this MOU.

4.4 After completion of the project the UPJN will maintain the scheme and the actual maintenance expenditure will be borne by NTPC, Dadri (U.P.) through NOIDA.

5. **QUALITY CONTROL:-**

All kind of control on quality including transmission pipe shall be the responsibility of UPJN. Beneficiary agency i.e. NTPC & NOIDA shall also have the right to check the quality of works as & when they feel to do so UPJN shall extend all help in this regard.

All pipes should be factory tested by a team having one representative of U.P. Jal Nigam.

6. **LAND ACQUISITION :-**

UPJN shall coordinate to acquire the land from the concerned Govt. Authorities/owners of the land for laying of pipe line. The cost of the land & compensation for rehabilitation if any shall be included in the work cost to be borne by NTPC.

7. **SETTLEMENT OF DISPUTE**

7.1 Noida, NTPC and UPJN will accord due honour to this MOU. However in the event of any dispute and/or difference whatsoever arises under the MOU or in connection there-in including any question relating to existence, meaning and interpretation of this MOU or any alleged

(एस. के. श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक
नौएडा

अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Addl. General Manager (HR)
एनटीपीसी लि०-दादरी/NTPC Ltd.-Dadri

Project Manager
Gangajal Project I
U.P. Jal Nigam

breach thereof the same shall be settled as far as possible by mutual discussion and consultation between the parties of this MOU.

7.2 In the event of any such question, dispute and/ or difference not being settled in the aforesaid manners, the dispute shall be referred to Infrastructure & Industrial Development Commissioner and Principal Secretary/Secretary, Department of Urban Development, U.P. Govt., Lucknow and CMD, NTPC whose decision shall be final and binding on both the parties.

7.3 Incase the dispute and/or difference between the parties is not settled as per the clause 7.2, the same shall be subjected to jurisdiction of Civil Court, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh and / or Allahabad High Court.

8. **AMENDMENT OF MOU**

If circumstances arise which call for modification in the MOU, these may be made by mutual consent of all parties to this MOU given in writing at least one month in advance. Proposals in this regard from one party shall be given due consideration by the other party.

9. **FORCE MAJEURE**

Force majeure is herein defined as any cause which is beyond the control of the UPJN or the contractor engaged for this Project as the case may be, which they could not foresee or with a reasonable amount of diligence could not have foreseen, and which substantially affects the performance of the contract such as:

Natural phenomena, including but not limited to floods, draughts, earthquakes and epidemics.
Terrorist acts/sabotage or other such acts/incidences.

In witness where of the parties here to have executed this memorandum of understanding.

A) For and on behalf of NOIDA
(एस. के. श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक
नोएडा

C) For and on behalf of UPJN
Project Manager
Gangajal Project Unit
U.P. Jal Nigam
Ghaziabad

B) For and on behalf of NTPC
विजय लक्ष्मी मुरलीधरन
VIJAYA LAKSHMI MURALIDHARAN
अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
Addl. General Manager (HR)
एनटीपीसी लि०-दादरी/NTPC Ltd.-Dadri

Witness:-

1. (A.C. Joshi) Sr. Mgr (FES) NTPC
2. A.K. VARUN Manager NOIDA.
3. M.D. Pandey
4. (Ramaez Quadir) Project Engineer
5. [Umesh Shukla] Project Engineer U.P. Jal Nigam.
6. ADWITIYA SHARMA (P.E)

Annexure - 2

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः– नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/92
दिनांक :05.... सितम्बर/2022

बैठक का कार्यवृत्त

विषयः– नौएडा स्थित STP-50 (59 MLD, STP-54 (87 MLD) एवंSTP -123 (35 MLD + 80 MLD(Proposed)= 115 MLD)से ट्रीटेड सीवेज, एन0टी0पी0सी0, दादरी तक ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– नौएडा, एन0टी0पी0सी0 एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के मध्य गठित एम0ओ0यू0 दिनांक 03.11.2018

उक्त विषयांक आज दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में बैठक निम्न अधिकारियों के साथ आहुत की गयीः–

1. श्री के0 पी0 गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0, दादरी
2. श्री उमेश शुक्ला, परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद
3. श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बा0सं0)

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर वार्ता की गयी

एन0टी0पीसी0, दादरी के उप महाप्रबन्धक श्री के0पी0 गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी पुराना रिकार्ड उनको नहीं दिया गया है। उनकी मांग के अनुसार श्री के0 पी0 गुप्ता जी को गठित एम0ओ0यू0 पत्राचार, रूट मैप अप्रूवल एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध करा दी गई है, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस गठित एम0ओ0यू0 के आधार पर वांछित धनराशि अवमुक्त करने के लिए उच्चाधिकारियों को अभियन्ता स्टॉफ द्वारा आन्तरिक परीक्षण के उपरान्त पत्रावली एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर दी जायेगी तथा अप्रूवल होने के उपरान्त डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु वांछित धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त कर दी जायेगी।

(मानवेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम)
नौएडा।

प्रतिलिपिः

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रधान महाप्रबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0 दादरी, गौतमबुद्ध नगर।
4. परियोजना प्रबन्धक(गंगाजल परियोजना ईकाई) उ0प्र0 जल निगम 120 एम0एल0डी0, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निकट संतोष मेडिकल कॉलेज, प्रताप विहार, गाजियाबाद।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बा0सं0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम)
नौएडा।

ANNEXURE - 3 (COLLY)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बाहय संस्था)

जल कल परिसर, सैक्टर–5, नौएडा–201301 (उ0प्र0)

पत्रांकः– नौएडा/व0प्र0(जल–बा0सं0)/520/22

दिनांक : 31/1/22

अपर महाप्रबन्धक
पी0एण्ड एस/आई0टी0एण्ड एफ0ई0एस0
एन0टी0पी0सी0 लि0, दादरी गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

कृपया अवगत हों कि जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर महोदय के द्वारा ग्रुप जनरल मैनेजर एन0टी0पी0सी0, दादरी को प्रेषित पत्रांक 411/सा0पत्रा0/13/16 दिनांक 12.05.2016 के माध्यम से अपेक्षा की गई थी कि जनपद में स्थापित एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह का प्रयोग किये जाने पर विचार किया जाये।

उक्त के अनुपालन में नौएडा के सीवेज शोधन संयत्रों से 80 एम0एल0डी0 शुद्धीकृत सीवर उत्प्रवाह को एन0टी0पी0सी0 दादरी में सप्लाई करने हेतु दिनांक 14 जून, 2018 को नौएडा प्राधिकरण एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य एम0ओ0यू0 गठित हुआ था। तत्पश्चात् उक्त एस0टी0पी0 प्रवाह को सप्लाई करने के लिए पाईप लाईन इत्यादि के कार्य हेतु नौएडा प्राधिकरण, एन0टी0पी0सी, दादरी एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के मध्य दिनांक 03.11.2018 को एम0ओ0यू0 गठित हुआ था। दिनांक 03.11.2018 को गठित एम0ओ0यू0 की क्लॉज संख्या–3 में प्राविधानित है कि Payment and Account Procedure के अनुसार "NTPC will release a lump-sum amount Rs. 75.00 Lac. UPJN Through NOIDA, after signing of MOU, as project preparation fee which will be adjusted from an funds made available for construction"

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ज्वाईन्ट सैकेटरी, मिनीस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया महोदय के द्वारा आदेश संख्या 11/104/2015–Th-II दिनांक 04 मार्च, 2020 के माध्यम से भी Thermal Power plants में सीवेज शोधित जल के उपयोग को Mandotory किया गया है।

यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि उक्त व्यवस्था हेतु बिछाये जाने वाली पाईप लाईन का Tantative Route Map भी एन0टी0पी0सी0 के द्वारा पत्रांक 08/Dadri/2019 Dt. 24.04.2019 के माध्यम से अनुमन्य किया जा चुका है तथा एन0टी0पी0सी0 के प्रतिनिधियों के द्वारा एस0टी0पी0 का विजिट भी किया जा चुका है।

उक्त के अनुपालन में उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा अवगत कराया गया है कि Execution के लिये आवश्यक डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु उनके द्वारा पत्रांक 04/NTPCदादरी/01/Dt. 03.01.2022 एवं अनेकों पत्रों के माध्यम से एम0ओ0यू0 की क्लॉज संख्या–3 में वर्णित धनराशि रू0 75.00 लाख की बार–बार मांग की जाती रही है। इस धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नौएडा प्राधिकरण द्वारा भी पत्रों के माध्यम से बार–बार अनुरोध किया जाता रहा है। जिलाधिकारी महोदय तथा ज्वाईन्ट सैकेट्री महोदय के निर्देशों के अनुपालन तथा पर्यावरण के हित में उक्त धनराशि का अवमुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उच्च प्राथमिकता पर उत्तर प्रदेश जल निगम को एम0ओ0यू0 की शर्तों के अनुसार धनराशि 75.00 लाख अवमुक्त कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अरूण कुमार)
वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बा0सं0)
नौएडा

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ
3. प्रधान महाप्रवन्धक महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0 महोदय को सूचनार्थ एवं सम्बन्धितको आवश्यक निर्देशार्थ।
5. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम को सूचनार्थ एवं एन0टी0पी0सी0 के सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय हेतु।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बा0सं0)
नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बाहय संस्था)

जल कल परिसर, सैक्टर–5, नौएडा–201301 (उ0प्र0)

पत्रांकः– नौएडा / व0प्र0(जल–बा0सं0) / 1121 / 22
दिनांक : 07/9/2022

7228
8/9/22

अपर महाप्रबन्धक (पी0 एण्ड एस / आई0टी0 एण्ड एफ0ई0एस0)
एन0टी0पी0सी लि. दादरी
गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)–201008

विषयः– नौएडा स्थितSTP-50 (59 MLD, STP-54 (87 MLD) एवंSTP -123 (35 MLD + 80 MLD (Proposed)= 115 MLD)से ट्रीटेड सीवेज, एन0टी0पी0सी0, दादरी तक ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–1. नौएडा / अ0मु0का0अ0(एम) / 2022 / 92 दिनांक 05 सितम्बर / 2022
2. नौएडा / व0प्र0(जल–बा0सं0) / 1095 / 22 दिनांक 30.08.2022
3. गठित एम0ओ0यू0 दिनांक 03.11.2018

दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय की अध्यक्षता में उपरोक्त विषयांकित बैठक में आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि गठित एम0ओ0यू0 की क्लॉज संख्या 03 के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु अग्रिम धनराशि रू0 75.00 लाख देने हेतु 07 दिन के अन्दर कर दी जायेगी

अनुरोध है कि इस विषय पर अद्यतन स्थिति से खण्ड को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराया जा सके।

SM(Jal OA)

(राकेश कुमार)
वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बा0सं0)
नौएड़ा

प्रतिलिपिः

ACEO(M)
1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. प्रधान महाप्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. परियोजना प्रबन्धक(गंगाजल परियोजना ईकाई) उ0प्र0 जल निगम 120 एम0एल0डी0, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निकट संतोष मेडिकल कॉलेज, प्रताप विहार, गाजियाबाद को उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु।
4. सम्बन्धित प्रभारी प्रबन्धक एवं अवर अभियन्ता(संविदा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4935
9/9/22

वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बा0सं0)
नौएड़ा

9/9

3610
07/9/22

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बाहय संस्था)

जल कल परिसर, सैक्टर–5, नौएडा–201301 (उ0प्र0)

पत्रांकः– नौएडा/व0प्र0(जल–बा0सं0)/1177/22
दिनांक : 22/09/2022

अपर महाप्रबन्धक (पी0 एण्ड एस/आई0टी0 एण्ड एफ0ई0एस0)
एन0टी0पी0सी लि, दादरी
गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)–201008

7972
23/9/22

ध्यानाकर्षणः– श्री के0 पी0 गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0

विषयः– नौएडा स्थितSTP-50 (59 MLD, STP-54 (87 MLD) एवंSTP -123 (35 MLD + 80 MLD (Proposed)= 115 MLD)से ट्रीटेड सीवेज, एन0टी0पी0सी0, दादरी तक ले जाने के सम्वन्ध में।

SM(OA) 3751
26/9/22

सन्दर्भः– 1. नौएडा/व0प्र0(जल–बा0सं0)/1121/22 दिनांक 07.09.2022
2. नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/92 दिनांक 05 सितम्वर/2022
3. नौएडा/व0प्र0(जल–बा0सं0)/1095/22 दिनांक 30.08.2022
4. गठित एम0ओ0यू0 दिनांक 03.11.2018

SM(Jal-OA)

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रांकों, पूर्व में भेजे गये पत्रों एवं एम0ओ0यू0 दिनांक 03.11.2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय की अध्यक्षता में उपरोक्त विषयांकित बैठक में आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि गठित एम0ओ0यू0 की क्लॉज संख्या 03 के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु अग्रिम धनराशि रू0 75.00 लाख देने हेतु 07 दिन के अन्दर अवमुक्त कर दी जायेगी। किन्तु आज दिनांक 22.09.2022 तक उत्तर प्रदेश जल निगम को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु उक्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ACEO(M)

पुनः अनुरोध है कि इस विषय पर अद्यतन स्थिति से खण्ड को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराया जा सके।

5683
26.9.22

27/9

(राकेश कुमार)
वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बा0सं0)
नौएड़ा

प्रतिलिपिः
1. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. प्रधान महाप्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. परियोजना प्रबन्धक(गंगाजल परियोजना ईकाई) उ0प्र0 जल निगम 120 एम0एल0डी0, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निकट संतोष मेडिकल कॉलेज, प्रताप विहार, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
4. सम्बन्धित प्रभारी प्रबन्धक एवं अवर अभियन्ता(संविदा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

22/09
वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बा0सं0)
नौएड़ा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर

अनुस्मारक–द्वितीय

दिनांक : 14 दिसम्बर / 2022

पत्रांकः– नौएडा / अ०मु०का०अ०(एम) / 2022 / 143

प्रबन्ध निदेशक
एन०टी०पी०सी० भवन
स्कोप कॉम्पलैक्स–7, संस्थागत क्षेत्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

A.C.E.O. (M) Diary No 10934 Date 13/12/22 NOIDA

18979 14/12/22

7723 19/12/22

विषयः– एन०टी०पी०सी०, दादरी तक नौएडा में स्थित सीवेज शोधन संयत्रों से शोधित जल ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–
1. पत्रांक नौएडा / अ०मु०का०अ०(एम) / 2022 / जल(बा०सं०) / 1047 दिनांक 10.08.2022
2. पत्रांक नौएडा / व०प्र०(जल–बा०सं०) / 1095 / 22 दिनांक 30.08.2022
3. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा / अ०मु०का०अ०(एम) / 2022 / 92 दिनांक 05.09.2022
4. पत्रांक नौएडा / व०प्र०(जल–बा०सं०) / 1121 / 22 दिनांक 07.09.2022
5. पत्रांक नौएडा / व०प्र०(जल–बा०सं०) / 1177 / 22 दिनांक 22.09.2022
6. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा / अ०मु०का०अ०(एम) / 2022 / व०प्र०(जल–बा०सं०) 1248 दिनांक 17.10.2022

ACEO (M)
कृ० नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नोएडा

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रांकों के माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि नौएडा शहर में स्थित सैक्टर–54 व सैक्टर–123 सीवेज शोधन संयत्रों से एन०टी०पी०सी०, दादरी के लिए शोधित जल लाईन बिछाने हेतु नौएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं एन०टी०पी०सी०, दादरी के मध्य दिनांक 03.11.2018 को एक एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया था। गठित एम०ओ०यू० के अनुसार सीवेज शोधन संयत्रों से शोधित जल लेकर एन०टी०पी०सी०, दादरी तक जाने वाली डी०आई० लाईन का कार्य 36 माह में पूर्ण किया जाना था तथा इस कार्य की सम्पूर्ण लागत एन०टी०पी०सी०, दादरी द्वारा वहन की जानी थी तथा कार्य पूर्ण करने के लिए तकनीकी पहलू एवं डी०पी०आर० आदि का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को दिया गया था। हस्ताक्षरित एम०ओ०यू० के स्कॉप ऑफ वर्क संख्या 3.1 के अनुसार एन०टी०पी०सी०, दादरी द्वारा एक मुश्त रू० 75.00 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को डी०पी०आर० तैयार करने हेतु दी जानी थी ताकि इस योजना पर आवश्यक कार्यवाही हो सके, लेकिन नौएडा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विभिन्न अनेकों सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से एन०टी०पी०सी० दादरी को यह धनराशि अवमुक्त करने के लिए आग्रह किया गया।

DGM (Jal)

ACEO (M)

7166 दिनांक 20/12/22 नोएडा

दिनांक 01.09.2022 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में उनके कक्ष में एन०टी०पी०सी० दादरी के प्रतिनिधि उप महाप्रबन्धक श्री पी० के० गुप्ता द्वारा इस धनराशि को आवश्यक परीक्षण उपरान्त अवमुक्त कराने के लिए एक सप्ताह के समय की मांग की गई थी लेकिन अभी तक भी इस पर कोई ठोस कार्यवाही कर एन०टी०पी०सी० द्वारा नौएडा को अवगत नहीं कराया गया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश जल निगम को परियोजना से सम्बन्धित डी०पी०आर० बनाने में

SH Jal-OA

DGM-Jal 20/12/22

Manager, Outer Agency Dy. No. 1283 Date 21/12/22

अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, जबकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधीकरण, द्वारा याचिका संख्या 1002/2018 में दिनांक 03.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में CPCB एवं Ministry of Housing and Urban affairs regarding (Reuse of treated used water in Thermal Plan Plan) on 15.11.2022 at 2.00 P.M. अपने पत्रांक संख्या D0 No/K/16011/10/2022-AMRUT Dated 10.11.2022 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है। पुनः आपसे अपेक्षा है कि गठित एम0ओ0यू0 के अनुसार सम्बन्धित को अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने कष्ट करें, ताकि माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्ययोजना टाईम–लाईन सहित माननीय एन0जी0टी0 को प्रेषित की जा सके।

(मानवेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम)
नौएडा।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सादर सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी(टी), नौडल अधिकारी को सूचनार्थ।
3. उप महाप्रबन्धक(जल) को सूचनार्थ।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को सूचनार्थ।
5. श्री के0पी0गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0, दादरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–बा0सं0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. परियोजना प्रबन्धक(गंगाजल परियोजना ईकाई) उ0प्र0 जल निगम 120 एम0एल0डी0, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निकट संतोष मेडिकल कॉलेज, प्रताप विहार, गाजियाबाद ।

14/12

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम)
नौएडा।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः– नौएडा/मु0का0अ0/2023/व0प्र0(जल-बा0सं0)/1574
दिनांक :27..... मार्च/2023

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

सेवा में,

मुख्य प्रबन्ध निदेशक
एन0टी0पी0सी0 भवन
स्कोप कॉम्पलैक्स–7, संस्थागत क्षेत्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः– एन0टी0पी0सी0, दादरी तक नौएडा में स्थित सीवेज शोधन संयत्रों से शोधित जल ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–

1. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/16/1200 दिनांक 12.04.2016
2. दिनॉक 28/01/2016 को प्रकाशित भारत का राजपत्र
3. पत्रांक नौएडा/प0अ0(जल–बा0सं0)/30/16 दिनांक 25.04.2016
4. जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र सं0– 411/स0पत्र13/16 दिनॉक 12.05.2016
5. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/16/129 दिनांक 23.06.2016
6. पत्रांक नौएडा/प0अ0(जल–बा0सं0)/195/16 दिनांक 12.07.2016
7. नौएडा एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य गठित एम0ओ0यू0 दिनांक 03.11.2018
8. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/AU/2017/1267 दिनांक 22.08.2017
9. पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/जल(बा0सं0)/1047 दिनांक 10.08.2022
10. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल–बा0सं0)/1095/22 दिनांक 30.08.2022
11. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/92 दिनांक 05.09.2022
12. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल–बा0सं0)/1121/22 दिनांक 07.09.2022
13. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल–बा0सं0)/1177/22 दिनांक 22.09.2022
14. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/व0प्र0(जल–बा0सं0) 1248 दिनांक 17.10.2022
15. पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/143 दिनांक 14.12.2022

कृपया एन0टी0पी0सी0 के मांग पत्र 08/EMG/16/1200 दिनांक 12.04.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें थर्मल पावर प्लान्ट हेतु एस0टी0पी0 के शोधित जल की आवश्यकता हेतु भारत के राजपत्र दिनॉक 28/01/2016 के Clause 6.2 (5) का उल्लेख किया है , जो कि निम्नवत है :-

"The thermal power plant(s) including the existing plants located within 50 km radius of sewage treatment plant of Municipality/local bodies/similar organization shall in the order of their closeness to the sewage treatment plant, mandatorily use treated sewage water produced by these bodies and the associated cost on this account be allowed as a pass through in the tariff. Such thermal plants may also ensure back-up source of water to meet their requirement in the event of shortage of supply by the sewage treatment plant. The associated cost on this account shall be factored into the fixed cost so as not to disturb the merit order of such thermal plant. The shutdown of the sewage treatment plant will be taken in consultation with the developer of the power plant".

थर्मल पावर प्लान्ट के लिये एस0टी0पी0 शोधित जल की आपूर्ति के सम्बन्ध में अपर महाप्रबन्धक (पर्यावरण एव राख उपयोग विभाग) द्वारा नौएडा के एस0टी0पी0 से शोधित जल की नियमित मात्रा की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में उक्त परियोजना के अन्तर्गत 115 एम0एल0डी0 शोधित जल एन0टी0पी0सी0 दादरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनॉक 17/09/2018 को सक्षम स्तर से अनुमोदन किया गया, तत्क्रम में दिनांक 03.11.2018 को नौएडा एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुआ था। गठित एम0ओ0यू0 के अनुसार सीवेज शोधन संयत्रों से शोधित जल लेकर एन0टी0पी0सी0, दादरी तक जाने वाली डी0आई0 लाईन का कार्य 36 माह में पूर्ण किया जाना था तथा इस कार्य की सम्पूर्ण लागत एन0टी0पी0सी0, दादरी द्वारा वहन की जानी थी तथा कार्य पूर्ण करने के लिए तकनीकी पहलू एवं डी0पी0आर0 आदि का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को दिया गया था। हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के स्कोप ऑफ वर्क संख्या 3.1 के अनुसार एन0टी0पी0सी0, दादरी द्वारा एक मुश्त रू0 75.00 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु दी जानी थी ताकि इस योजना पर प्रभावी कार्यवाही हो सके, परन्तु आप के द्वारा धनराशि उपलब्ध नही करायी गयी। इसी क्रम में नौएडा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विभिन्न सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से एन0टी0पी0सी0 दादरी को यह धनराशि अवमुक्त करने के लिए आग्रह किया गया।

दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम) की अध्यक्षता में एन0टी0पी0सी0 दादरी के प्रतिनिधि उप महाप्रबन्धक श्री पी0 के0 गुप्ता की उपस्थिति में बैठक की गयी, जिसमें श्री गुप्ता द्वारा इस धनराशि को आवश्यक परीक्षण उपरान्त अवमुक्त कराने के लिए एक सप्ताह के समय की मांग की गई थी लेकिन अभी तक एन0टी0पी0सी0 द्वारा वांछित कार्यवाही कर प्राधिकरण को अवगत नहीं कराया गया है, जिसके कारण परियोजना से सम्बन्धित डी0पी0आर0 बनाने में उत्तर प्रदेश जल निगम अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधीकरण, द्वारा याचिका संख्या 1002/2018 में दिनांकः– 03.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में CPCB एवं Ministry of Housing and Urban affairs regarding (Reuse of treated used water in Thermal Plan Plan) on 15.11.2022 at 2.00 P.M. अपने पत्रांक संख्या D0 No/K/16011/10/2022-AMRUT Dated 10.11.2022 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है। अतः अनुरोध है कि कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए गठित एम0ओ0यू0 में वर्णित कार्य का निष्पादन शीघातिशीघ्र कराने का कष्ट करे।

<u>संलग्नकः–एम0ओ0यू0 की छायाप्रति।</u>

(रितु माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

प्रतिलिपिः–

1. सचिव महोदय, शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, बी ब्लोक, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय, उ0प्र0 लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ
4. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास महोदय, उ0प्र0 लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ
5. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एस0पी0) को सूचनार्थ।
6. उप महाप्रबन्धक (जल) को सूचनार्थ।
7. श्री के0पी0गुप्ता, उप महाप्रबन्धक, एन0टी0पी0सी0, दादरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक(जल–वा0सं0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः- नौएडा/मु0का0अ0/2023/व0प्र0(जल-वा0सं0)201
दिनांक :..03.. अगस्त/2023

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

अनुस्मारक-प्रथम

सेवा में,

मुख्य प्रबन्ध निदेशक
एन0टी0पी0सी0 भवन
स्कोप कॉम्पलैक्स-7, संस्थागत क्षेत्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषयः- एन0टी0पी0सी0, दादरी तक नौएडा में स्थित सीवेज शोधन संयत्रों से शोधित जल ले जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः-
1. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/16/1200 दिनांक 12.04.2016
2. दिनॉक 28/01/2016 को प्रकाशित भारत का राजपत्र
3. पत्रांक नौएडा/प0अ0(जल-वा0सं0)/30/16 दिनांक 25.04.2016
4. जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र सं0- 411/स0पत्र13/16 दिनॉक 12.05.2016
5. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/16/129 दिनांक 23.06.2016
6. पत्रांक नौएडा/प0अ0(जल-वा0सं0)/195/16 दिनांक 12.07.2016
7. नौएडा एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य गठित एम0ओ0यू0 दिनांक 03.11.2018
8. एन टी0पी0सी0 का मांग पत्र 08/EMG/AU/2017/1267 दिनांक 22.08.2017
9. पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/जल(वा0सं0)/1047 दिनांक 10.08.2022
10. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-वा0सं0)/1095/22 दिनांक 30.08.2022
11. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/92 दिनांक 05.09.2022
12. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-वा0सं0)/1121/22 दिनांक 07.09.2022
13. पत्रांक नौएडा/व0प्र0(जल-वा0सं0)/1177/22 दिनांक 22.09.2022
14. बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/व0प्र0(जल-वा0सं0) 1248 दिनांक 17.10.2022
15. पत्रांक नौएडा/अ0मु0का0अ0(एम)/2022/143 दिनांक 14.12.2022

कृपया पूर्व में आपको प्रेषित पत्र नौएडा/मु0का0अ0/2023/व0प्र0(जल-वा0सं0)/1574 दिनांक 27 मार्च-2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आपको अवगत कराया गया था कि एन0टी0पी0सी0 के मांग पत्र 08/EMG/16/1200 दिनांक 12.04.2016 में थर्मल पावर प्लान्ट हेतु एस0टी0पी0 के शोधित जल की आवश्यकता हेतु भारत के राजपत्र दिनॉक 28/01/2016 के Clause 6.2 (5) का उल्लेख किया है , जो कि निम्नवत है :-

"The thermal power plant(s) including the existing plants located within 50 km radius of sewage treatment plant of Municipality/local bodies/similar organization shall in the order of their closeness to the sewage treatment plant, mandatorily use treated sewage water produced by these bodies and the associated cost on this account be allowed as a pass through in the tariff. Such thermal plants may also ensure back-up source of water to meet their requirement in the event of shortage of supply by the sewage treatment plant. The associated cost on this account shall be factored into the fixed cost so as not to disturb the merit order of such thermal plant. The shutdown of the sewage treatment plant will be taken in consultation with the developer of the power plant".

...विकास प्राधिकरण

...र्मल पावर प्लान्ट के लिये एस0टी0पी0 शोधित जल की आपूर्ति के सम्बन्ध में अपर महाप्रबन्धक (पर्यावरण एवं राख उपयोग विभाग) द्वारा नौएडा के एस0टी0पी0 से शोधित जल की नियमित मात्रा की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया था।

इस सम्बन्ध में उक्त परियोजना के अन्तर्गत 115 एम0एल0डी0 शोधित जल एन0टी0पी0सी0 दादरी को उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनॉक 17/09/2018 को सक्षम स्तर से अनुमोदन किया गया, तत्क्रम में दिनांक 03.11.2018 को नौएडा एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य एक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुआ था। गठित एम0ओ0यू0 के अनुसार सीवेज शोधन संयत्रों से शोधित जल लेकर एन0टी0पी0सी0, दादरी तक जाने वाली डी0आई0 लाईन का कार्य 36 माह में पूर्ण किया जाना था तथा इस कार्य की सम्पूर्ण लागत एन0टी0पी0सी0, दादरी द्वारा वहन की जानी थी तथा कार्य पूर्ण करने के लिए तकनीकी पहलू एवं डी0पी0आर0 आदि का दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम को दिया गया था। हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के स्कोप ऑफ वर्क संख्या 3.1 के अनुसार एन0टी0पी0सी0, दादरी द्वारा एक मुश्त रू0 75.00 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु दी जानी थी ताकि इस योजना पर प्रभावी कार्यवाही हो सके, परन्तु आप के द्वारा धनराशि उपलब्ध नही करायी गयी। इसी क्रम में नौएडा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विभिन्न सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से एन0टी0पी0सी0 दादरी को यह धनराशि अवमुक्त करने के लिए आग्रह किया गया।

दिनांक 01.09.2022 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम) की अध्यक्षता में एन0टी0पी0सी0 दादरी के प्रतिनिधि उप महाप्रबन्धक श्री पी0 के0 गुप्ता की उपस्थिति में बैठक की गयी, जिसमें श्री गुप्ता द्वारा इस धनराशि को आवश्यक परीक्षण उपरान्त अवमुक्त कराने के लिए एक सप्ताह के समय की मांग की गई थी लेकिन अभी तक एन0टी0पी0सी0 द्वारा वांछित कार्यवाही कर प्राधिकरण को अवगत नहीं कराया गया है, जिसके कारण परियोजना से सम्बन्धित डी0पी0आर0 बनाने में उत्तर प्रदेश जल निगम अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधीकरण, द्वारा याचिका संख्या 1002/2018 में दिनांकः– 03.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में CPCB एवं Ministry of Housing and Urban affairs regarding (Reuse of treated used water in Thermal Plan Plan) on 15.11.2022 at 2.00 P.M. अपने पत्रांक संख्या DO No/K/16011/10/2022-AMRUT Dated 10.11.2022 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है। अतः पुनः अनुरोध है कि कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए गठित एम0ओ0यू0 में वर्णित कार्य का निष्पादन शीघातिशीघ्र कराने का कष्ट करे।

<u>संलग्नकः–एम0ओ0यू0 की छायाप्रति।</u>

(लोकेश एम0)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

प्रतिलिपिः–

1. सचिव महोदय, शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, बी ब्लोक, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय, उ0प्र0 लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ
4. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास महोदय, उ0प्र0 लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ
5. महाप्रबन्धक को सूचनार्थ।
6. उप महाप्रबन्धक (जल) को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।